उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-63/2016/1529/92-2-16-232आरई/2009

लखनऊ:: दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा में तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में कार्य करते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना] पी0आई0यू0-2, इटावा के फेज-7 के पैकेज संख्या-यू0पी0-2244 के अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-02-2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-2, इटावा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्र दिनांक 20.04.2012 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कतिपय आरोप सिद्ध पाये गये। आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13.06.2012 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 22.02.2013, 05.07.2014 व 23.01.2015 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारित कराया गया किन्तु अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 18.05.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री धीरेन्द्र सहाय से अभ्यावेदन मांगे जाने विषयक शासन के पत्र दिनांक 23.01.2015 की प्रति उन्हें दिनांक 25.02.2015 को प्राप्त कराते हुये तामीली की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

3- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपो के आधार पर शासन द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-2, इटावा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली तथा अपचारी अधिकारी के विरूद्व नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0 आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4- अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.01.2016 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित करते हुए शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा विनिश्चित दण्ड उक्त अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 14.01.2016 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5- लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 04.08.2016 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड पर निम्नवत सहमति व्यक्त की है :-

"शासन द्वारा प्रस्तावित शास्ति शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री सहाय के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाये।"

6- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.02.2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.01.2016 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम'351ए में परिवर्तित किया गया है, में निम्नवत दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री धीरेन्द्र सहाय,तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0 आई0यू0-2, इटावा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पी0आई0यू0-2, इटावा के फेज-7 के पैकेज संख्या-यू0पी0-2244 के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितता के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली श्री धीरेन्द्र सहाय के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहतवाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाए।"

श्री राज्यपाल के आदेश से ,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-63/2016/1529(1)/92-2-16 तददिनांकित।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, पी0आई0यू0-2, इटावा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-123(IV)/07/एडीसी/एस-12/2015-16 दिनांक 04.08.2016 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in